न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–13/2016/जिला भीलवाड़ा

1. लालुराम पुत्र नाथू
2. मगना पुत्र नाथू
3. मु0 बगतावरी बेवा तुलछा
4. मोती पुत्र तुलछा
5. मांगू पुत्र जगू

सभी जाति तेली निवासी ग्राम अरनोटा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––अपीलांटस

बनाम

1. नानू पुत्र नगजी
2. अम्बांलाल पुत्र नगजी
3. शंकर पुत्र नगजी
4. भंवर पुत्र नगजी
5. जगदीश पुत्र नगजी
6. मु0 गोपी बेवा नगजी
7. मु0 मांगी बेवा माधू
8. रामलाल पुत्र धन्ना

सभी जाति तेली निवासी ग्राम अरनोटा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर दिनांक 13.07.2015 प्रकरण संख्या 13/2015 अनुवानी नानू पुत्र नगजी में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0ः–श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
श्री ए0एस0राठौड़ (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अरनोटा तहसील सहाड़ा में रेस्पो0 आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.73 हे0 भूमि स्थित है। रेस्पो0 द्वारा उक्त

भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के समक्ष एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 111,128 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा हम अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 13.07.2015 को विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश निर्णय प्रदान किया। अपीलांट द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई–

1. उपखण्ड अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर निर्णय प्रदान किया गया।

2. अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

3. रेस्पो0 की भूमि के खसरा नम्बर 128 के आसपास अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 145/595, 146,147,148,149 स्थित है। फिर भी बिना अपीलांट को सुने पत्थरगढ़ी का उक्त आदेश प्रदान किया है। जो खारिज योग्य है।

4. अंत में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 को निरस्त करने बाबत निवेदन किया।

5. अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया।

रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के जवाब प्रस्तुत किये है। अपील के दौरान रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 की पालना में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। जिसे उक्त अपील प्रभावहीन हो चुकी है। साथ ही अपीलांट द्वारा रेस्पों0 संख्या 8 के रूप में जिस व्यक्ति रामलाल पुत्र धन्ना को पक्षकार बनाया गया है। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम अरनोटा में निवास ही नहीं करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को निरस्त किया जायें।

धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अपीलांट द्वारा दिया गया तथा यह माना गया कि रेस्पो0 संख्या 8 का नाम तर्क किया जाना न्यायोचित है।

उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके जवाब पर बहस के बाद रेस्पो0 संख्या 8 का नाम तर्क करने का आदेश दिया गया। रेस्पो0 संख्या 4 एवं 7 बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस में अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पो0 के खसरा नम्बर 128 रकबा 1.73 हे0 भूमि के चारो ओर हमारी जमीन है। हमें पक्षकार नहीं बनाया है। सिर्फ राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 का आदेश है। हम व्यथित पक्षकार है। नोटिस से हमें मौके पर क्यों बुलाया गया। हमे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.01.2016 की है। वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1984 पेज 111 का हवाला देते हुए बहस में बताया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए।

बहस के दौरान वकील रेस्पो0 द्वारा बताया कि अपीलांट 75 एल0आर0एक्ट में अपील लेकर आये है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोशीथल कैम्प में उक्त आदेश जारी किया था। अपीलांट द्वारा कोई बहस नहीं की गई। अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है। विवादित खसरा नम्बर से इनका कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 25.01.2016 को पत्थरगढ़ी की जा चुकी है और अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 08.02.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर से पत्थरगढ़ी के वक्त मना किया गया था। अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का वाद भी विचाराधीन है। जब तक आदेश निरस्तीकरण नहीं हो जाता है। तब तक अपीलाधीन आदेश प्रभावी रहेगा। इस हेतु न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 98 पेज 1 का हवाला इनके द्वारा दिया गया। अपीलांट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.01.2016 को होना बताया है। जबकि अपीलाधीन आदेश की जानकारी वापस सूचना सभी पड़ौसी काश्तकारों को दिनांक 15.01.2016 को दे दी गई थी। अपीलांट द्वारा क्लीन हैंण्ड से न्यायालय में नहीं आना बताया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के आदेश दिनांक 13.07.2015 की पालना में तहसीलदार सहाड़ा को पालना बाबत प्राप्त आदेश की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 29.07.2015 को गिरदावर कोशीथल एवं अन्य लोगो की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी की है। उक्त पत्थरगढ़ी दिनांक 20.01.2016 की गई है। मौका पर्चा बनाया जाकर उपस्थित लोगो को पढ़कर सुनाया जाकर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी प्राप्त किया गया। उक्त पत्थरगढ़ी की पालना से पूर्व रेस्पो0 एवं अपीलांट पड़ौसीयों को सूचना पत्र जारी करने का हवाला दिया। उक्त सूचना पत्र दिनांक 15.01.2016 को जारी किया गया है। विपक्षीगणों को तामील करवाने हेतु गये थे मगर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से मना कर दिया। ऐसा उक्त सूचना पत्र के नीचे की ओर लिखा हुआ पाया गया। संबंधित भू–अभिलेख निरिक्षक कोशीथल द्वारा पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट दिनांक 25.01.2016 को तैयार कर तहसील कार्यालय में जमा करवायी। जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम अरनोटा दिनांक 03.02.2016 के अनुसार खसरा नम्बर 145/595 बारानी तृतीय होकर रकबा 0.0700 हे0 दर्ज है तथा खसरा नम्बर 146 गैरमुमकीन आचा होकर 0.0100 हे0 रकबा दर्ज है। उक्त दोनो खसरा नम्बर खाता 85 नया में दर्ज है तथा खातेदार के रूप में मगना लाल पिता नाथू, मांगू पिता जग्गू, मोती पिता तुलछा, भक्तावरी बेवा तुलछा गैरमौ तृतीय दर्ज है। खाता संख्या नया 89 में कुल खसरा नम्बर 14 दर्ज है तथा रकबा 2.0000 हे0 दर्ज है। उक्त खाते के खसरा नम्बर 147,148,149 अपीलांट के नाम पर दर्ज है तथा सारे खसरा नम्बर रेस्पो0 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: Attested

खसरा नम्बर 128 के नीचे की ओर दर्ज है। यह सही है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस वजह से उन्हें नहीं सुना गया। कैम्प के दौरान उक्त अपीलाधीन निर्णय जारी किया गया था। चूंकि अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश अस्वीकार किये जाने योग्य है। चूंकि पत्थरगढ़ी की पालना दिनांक 20.01.2016 को हो चुकी है तथा वर्तमान अपील इस वजह से इनफ्रक्सीयस(प्रभावहीन) हो चुकी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर जिला भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 13/2015 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested